(1800/SPS/KMR)

1801 बजे

लोक सभा अठारह बजकर एक मिनट पर समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1801 बजे

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1801

माननीय अध्यक्ष: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 1 से 7 तक, माननीय मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री राज नाथ सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी की ओर से, मैं प्रजननीय आयु में गर्भवती महिलाओं और कुपोषित महिलाओं हेतु निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) उत्तर भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(2) दक्षिण भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(3) पूर्वी भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(4) पश्चिम भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(5) मध्य भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(6) उत्तर-पूर्वी भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, डॉ. हर्ष वर्धन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 23 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (सचिव और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम, 2020 जो 20 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. संख्या. टीडीबी/14/2019/प्रशासन(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) निम्नलिखित संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष 2018-2019 की समाप्ति के पश्चात नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
(चार) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी
(पांच) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर
(छह) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद

(5) (एक) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) (एक) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंडडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री बाबुल सुप्रियो की ओर से, मैं जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 8 की उप-धारा (1 एवं 4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1850(अ), जो 11 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण में गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने और इस उद्देश्य के लिए 7 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1351(अ) और तत्पश्चात 21 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 897(अ) को संशोधित करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष जी, श्री अनुराग सिंह ठाकुर की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन संख्याक 1)।

(दो) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन संख्याक 2।

(तीन) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य, आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्रों के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन संख्याक 3।

(चार) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन संख्याक 1।

(पांच) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य, आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्रों के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2019 का

प्रतिवेदन संख्याक 2)

(छह) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 1)

(सात) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीपीएसई द्वारा स्कूलों में शौचालयों का निर्माण, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (वाणिज्यक) का प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन संख्याक 21) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(आठ) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, वित मंत्रालय के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 13) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(नौ) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक- संघ सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय - सिविल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 10) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां)।

(दस) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आयकर विभाग में तलाशी और जब्ती निर्धारण सबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 14)।

(ग्यारह) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 11)।

(बारह) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय में जनशक्ति और संभारतंत्र प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (सिविल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 15)।

(तेरह) वर्ष 2018-2019 के लिए संघ सरकार के लेखाओं के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 4) (वित्तीय लेखापरीक्षा)।

(चौदह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रेल में रेल इंजनों का आकलन और उपयोग तथा एलएचबी डिब्बों के उत्पादन और रखरखाव के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रेल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 2) - (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(पंद्रह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नौसेना और तटरक्षकबल के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक- संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 1)।

(सोलह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वायु सेना के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 12)।

(सत्रह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा टिप्पणी के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (सिविल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 6)।

(अठारह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा टिप्पणी के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 3)।

(उन्नीस) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे वित के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रेल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 8)।

(बीस) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडिया स्कीम से मर्चेंडाइज निर्यात (एमईआईएस) और इंडिया स्कीम से सेवा निर्यात (एसईआईएस) संबंधी निष्पादन लेखा परीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 5)

(इक्कीस) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रेलवे) का प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 19) - (लेखा परीक्षा अनुपालन)।

(बाईस) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रक्षा ऑफसेट्स प्रबंधन के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं - थल सेना) का प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 20) (निष्पादन लेखा परीक्षा)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2017-2018 के लिए जम्मू - कश्मीर सरकार - विनियोग लेखे।

(दो) वर्ष 2017-2018 के लिए जम्मू - कश्मीर सरकार - वित्त लेखे (खंड-I)।

(तीन) वर्ष 2017-2018 के लिए जम्मू - कश्मीर सरकार - वित्त लेखे (खंड-II)।

(चार) वर्ष 2018-2019 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।

(पांच) वर्ष 2018-2019 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे (भाग I - समीक्षा)।

(छह) वर्ष 2018-2019 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे (भाग II - विस्तृत विनियोग लेखे)।

(सात) वर्ष 2018-2019 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे [भाग II - विस्तृत विनियोग लेखे (अनुबंध - छ)]

(आठ) वर्ष 2018-2019 के लिए संघ सरकार - डाक सेवाओं के विनियोग लेखे ।

(नौ) वर्ष 2018-2019 के लिए संघ सरकार -विनियोग लेखे (सिविल) ।

*THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Speaker Sir, on behalf of Shri Anurag Singh Thakur, I beg to lay on the Table a copy of the Union Government-Finance Accounts for the year 2018-2019 (Hindi and English Versions).

---

*Original in Hindi

COMMITTEE ON ESTIMATES

3rd to 5th Reports

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Sir, I beg to present the following Reports (Hindi and English Versions) of Committee on Estimates (2020-21):-

(1) 3rd Report of the Committee on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 26th Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Estimates And Performance Review Of All India Services' pertaining to the Ministry Of Personnel, Public Grievances And Pensions (Department Of Personnel and Training).

(2) 4th Report of the Committee on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 29th Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Preparedness of Armed Forces - Defence Production and Procurement' pertaining to the Ministry of Defence.

(3) 5th Report of the Committee on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 31st Report (16th Lok Sabha) on the subject 'Import of Uranium For Nuclear Plants' pertaining to the Department Of Atomic Energy.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

1803 hours

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020 agreed without any amendment to the Indian Instituted of Information Technology Laws (Amendment) Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 2020."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020 agreed without any amendment to the Essential Commodities (Amendment) Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th September, 2020."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020 agreed without any amendment to the Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 16th September, 2020."

(iv) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020 agreed without any amendment to the Companies (Amendment) Bill, 2020, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th September, 2020."

(v) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020 agreed without any amendment to the National Forensic Sciences University Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th September, 2020."

(vi) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020 agreed without any amendment to the Rashtriya Raksha University Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th September, 2020."

(vii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Taxation and Other Laws (Relaxation and Amendment of Certain Provisions) Bill, 2020, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 19th September, 2020 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

1804 hours

*SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020 agreed without any amendment to the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 21st September, 2020."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020 agreed without any amendment to the Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th September, 2020."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020 agreed without any amendment to the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020."

(iv) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020 agreed without any amendment to the Industrial Relations Code, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020."

---

*Original in Hindi

(v) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020 agreed without any amendment to the Code on Social Security 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020."

(vi) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 23rd September, 2020 agreed without any amendment to the Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd September, 2020."

(vii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.3) Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th September, 2020 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(viii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No.4) Bill, 2020 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th September, 2020 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
10वां से 12वां प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) “रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा” के बारे में दसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) "आश्वासनों को छोड़े जाने के बारे में अनुरोध (माने गये)" के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) "आश्वासनों को छोड़े जाने के बारे में अनुरोध (नहीं माने गये)" के बारे में बारहवाँ प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE

24th to 31st and 32nd Reports

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): Sir, I beg to present the Twenty-fourth to Thirty-first Reports (Original) and Thirty-second Report (Action Taken) (Hindi and English versions) of the Committee on Papers laid on the Table (2019-2020).

(1805/SNT/MM)

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Study Visit Report

DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Sir, I rise to lay on the Table, the Report (Hindi and English versions) of the Study Visit of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Guwahati, Itanagar, Imphal and Kolkata during November, 2019.

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 108TH AND 114TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE

AND

STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 327TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMNET, FORESTS AND CLIMATE CHANGE – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Dr. Harsh Vardhan, I rise to lay the following statements regarding:-

(1) the status of implementation of the recommendations contained in the 108th and 114th Reports of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2018-19), (Demand No. 5) pertaining to the Ministry of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH).

(2) the status of implementation of the recommendations contained in the 327th Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS/OBSERVATIONS IN 8TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Prakash Javadekar, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations/observations contained in the 8th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. जितेन्द्र सिंह की ओर से, मै उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 2ND REPORT OF STANDING COMMITTEE ON URBAN DEVELOPMENT – LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Urban Development on Demands for Grants (2020-21), pertaining to the Ministry of Housing and Urban Affairs.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 6TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Parshottam Rupala, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2019-20), pertaining to the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 297TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shri Pratap Chandra Sarangi, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 297th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 7TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON FINANCE – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 7th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Department of the Economic Affairs, Expenditure, Financial Services & D/o Investment & Public Asset Management, Ministry of Finance.

(1810/RK/SJN)

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 2ND & 6TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON LABOUR - LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Shrimati Smriti Zubin Irani, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2019-20) and 6th Report on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Textiles.

_____

MOTION RE: REPORT OF JOINT COMMITTEE ON THE PERSONAL DATA PROTECTION BILL - EXTENSION OF TIME

SHRI P. P. CHAUDHARY (PALI): I beg to move:

> "That this House do extend up to the second week of the Winter Session of the Parliament, 2020 the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय संसद के शीतकालीन सत्र, 2020 के दूसरे सप्ताह तक बढ़ाती है।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे

1811 बजे

माननीय अध्यक्ष : श्री कुरूवा गोरांतला माधव जी।

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Thank you, Speaker, Sir. The Finance Commission's grants to urban local bodies are very crucial for the development of public amenities in the municipalities.

Under 14th Finance Commission, the total grant given to the urban local bodies was Rs.3,635 crore, and out of this, Rs.581 crore are still pending. The Government of Andhra Pradesh has submitted the required Utilization Certificates for the released grants and also demonstrated compliances for all reforms stipulated by the Central Finance Commission, that is up to date annual accounts, and improvement in municipal revenues. These amounts are very crucial to develop infrastructure, roads, water supply, protection of open spaces, and development of playgrounds.

The State of Andhra Pradesh is facing severe financial stress due to bifurcation and COVID-19 pandemic. Hence, I would request the Central Government, through you, Sir, to release the pending Rs.581 crore at the earliest.

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): Sir, Subarnapur district in my parliamentary constituency is called the second Banaras. It is situated at the confluence of the rivers Tel, Ong and Mahanadi. Both, Subarnapur and Balangir districts have several ancient temples of historical, architectural, and religious importance dating from the 8th to the 13th century; for example, Patali Srikhetra, Papakshya Ghat, Bhima Bhoi Samadhi Pitha of the famous poet saint of Odisha whose poem is also inscribed in our Parliament as well as the UNO, ancient pre-historic caves in Puja Dunguri where the Goddess Chandli Pat has been worshipped by the tribal people since time immemorial. Balangir district is also famous for the Hari Shankar and Chounsath Yogini temples.

These temples need to be preserved and developed into places of heritage and religious tourism which will help the economy of the districts and generate employment opportunities. As we all know, Balangir is an aspirational district. Both these districts are home to the famous Sambalpuri weavers.

I would request the hon. Minister of Tourism to include Subarnapur and Balangir districts of Odisha, under the Swadesh Darshan Scheme, as heritage, spiritual or rural circuit. Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण) : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जब भी बोलता हूं, तो मैं अपना स्टॉप वॉच चालू कर लेता हूं। मैं सबसे पहले एक छोटा सा अंश रखना चाहूंगा कि आपने जिस प्रकार से इस कोविड-19 के बाद, दुनिया और विशेषकर भारत के इतिहास में, जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तो कोविड-19 के बाद पहला सत्र आपने इतने सुन्दर तरीके से कराया है, आप उस अध्यक्षीय शासन पर बैठे थे, उस कुर्सी पर बैठे थे, यह दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा। आपने और माननीय सासंदों ने इस सदन को संचालित किया है। अध्यक्ष जी, इसे ज़ीरो ऑवर में मेरे हिस्से का भाग न माना जाए।

अध्यक्ष जी, जब हम लोग अगली बार के सत्र में आएंगे, तो मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि देश का एक बड़ा भाग जो बिहार है, जिसमें 12 करोड़ की आबादी रहती है, वहां चुनाव संपन्न हो चुके होंगे और एक नई सरकार बनेगी। मुझे यह विश्वास है कि वह सरकार हमारी होगी। जब हम लोग इस सदन में आते हैं, तो अपना संकट रखते हैं, समस्या रखते हैं, विषय रखते हैं, क्रोध रखते हैं और गुस्सा भी प्रकट करते हैं। लेकिन इस बार मैं आपके और इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और बिहार के तमाम सांसद जो सदन में आपके संरक्षण में काम करते रहे हैं, वे बिहार के विकास के लिए काम करते रहे हैं। मैं इस सदन और आपके माध्यम से उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिसका परिणाम हमें बिहार के चुनाव में निश्चित रूप से मिलेगा। (1815/GG/RK)

महोदय, देश के प्रधान मंत्री ने बिहार के लिए एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। मैं ईमानदारी से यह कहना चाहूंगा कि देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाई-पाई का हिसाब बिहार की जनता को दे दिया है और एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपये का निवेश बिहार में आ चुका है।

महोदय, चाहे वह सड़कों का काम हो, एनएचएआई का हो, बिहार की ग्रामीण सड़कों का हो, जैसे उदाहरण के तौर पर आजादी के पचास वर्ष बाद भी गंगा नदी पर सिर्फ चार पुल थे, आज वहां 16 पुल हैं, तो यही अपने आप में इस प्रकार की प्रामाणिकता देता है। महोदय, मैं तीस सैकेंड और लूंगा।

महोदय, पटना में पाटलीपुत्र, जो देश की राजधानी के रूप में जानी जाती थी, बिहार में हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे, वहां पर भी मेट्रो रेल का शिलान्यास हो गया है और देश के प्रधान मंत्री ने उस पर काम शुरू कर दिया है। आगे भी वहां, चाहे आंखों का अस्पताल हो, सुपरस्पेशियलिटी हो और कैंसर हॉस्पिटल हो, तरह-तरह से उपचार की सुविधा हो गयी है। देश के प्रधान मंत्री का एक बड़ा काम है, प्रधान मंत्री पैकेज के तहत एक बड़ी कल्पना है, क्योंकि पटना हवाई अड्डे का नाम

जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। जय प्रकाश जी उस आंदोलन के प्रतीक रहे हैं। वह एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम, जो देश में एक भी ऐसा विमानपत्तन नहीं है, उसका भी काम चुनाव के पश्चात माननीय प्रधान मंत्री जी पूरा कराएंगे।

महोदय, जैसे उदाहरण के तौर पर, सारण में अब हम लोगों ने उज्जवला से तो गैस पहुंचा दी। देश के प्रधान मंत्री ने हर जिले में गैस पहुंचाने का काम किया है, उसी तरह से, जैसे नल के पानी की तरह, वहां हर घर में रसोई की गैस पाइप नल से निकलेगी और घर में लोग पकाएंगे। इसकी भी योजना पूरे भारतवर्ष में है।

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार ने कदम से कदम मिला कर काम किया है। मैं बताना चाहूंगा कि एक सरल व्यक्ति, एक सज्ज्जन व्यक्ति, एक मेहनती व्यक्ति, बिहार के मुख्य मंत्री ने जिस प्रकार से पांच साल और पिछले 15 सालों में बिहार में काम किया है, वह इतिहास के पन्नों में जाएगा। देश के प्रधान मंत्री के साथ-साथ मैं बिहार के मुख्य मंत्री को आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं बिहार वासियों को कहना चाहूंगा कि अगले चुनावों में जो परिणाम आएंगे, वे उन कामों पर होंगे, जो देश के प्रधान मंत्री और बिहार के मुख्य मंत्री ने बिहार में किए हैं।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री गोपाल शेट्ट एवं श्री सुनील कुमार पिन्टू को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): I would like to draw the attention of this House to the recent controversies regarding censure of free speech by social media platforms like Facebook, Twitter, and their affiliates in India. This poses a significant constitutional challenge not only on the grounds of unreasonable restriction of free speech but also amounts to illegal interference during elections.

Sir, Facebook, Twitter and similar foreign social media platforms claim themselves to be intermediaries under the IT Act. However, the key element of this definition is that the role of the intermediaries is limited to processing, storing and transmitting data of third-party users and does not include intervention on the content of the users. Therefore, Section 79 of the IT Act provides these intermediaries exemption from any liability. An intermediary receives protection that a regular publisher does not receive.

While this is the explicit spirit of the statute, the Information Technology (Intermediary Guidelines) Rules, while laying down what sort of third-party content may be prohibited by the privacy policy of the intermediary, go far beyond the scope of Article 19 (2) of the Constitution read with Sections 79 and 69 of the IT Act.

These guidelines are not only ultra vires the parent statute, but also unconstitutional as the grounds they provide for are so wide that they will fail the standards of constitutionality set out by the Supreme Court in Shreya Singhal case while striking down Section 66(A) of the IT Act. They are problematic because they empower private foreign enterprises performing essentially a public function to act as censors of free speech without Government oversight, thus effectively and severely impacting safeguards of fundamental right to free speech.

I, therefore, urge the Government to repeal such unconstitutional guidelines and issue new ones to govern social media platforms, thereby protecting the fundamental right to free speech of our citizens, especially those of the nationalistic approach. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, डॉ. निशिकांत दुबे, एवं श्री एस.सी. उदासी को द्वारा श्री तेजस्वी सूर्या उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहूंगा। महोदय, जिला हनुमानगढ़ में एक वॉशिंग लाइन का निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है। भटिंडा जंक्शन जो, हनुमानगढ़ जंक्शन से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हनुमानगढ़ में वॉशिंगलाइन नहीं है, यहां पर 300 बीघा की ज़मीन रेलवे की भी पड़ी है। वहां पर सोलर प्लांट लगाने के लिए, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा। महोदय, उत्तर रेलवे के फिरोज़पुर रेलवे मंडल ने अमृतसर से श्रीगंगानगर होते हुए बीकानेर तक एक रेल लाइन की स्वीकृति प्रदान की थी। एक गरीब रथ रेलगाड़ी की स्वीकृति प्रदान की थी, उसका भी संचालन नहीं हुआ है।

(1820/KN/PS)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूँगा कि पूर्वी रेलवे द्वारा संचालित गाड़ी नंबर 13007 और 13008 हावड़ा-श्रीगंगानगर हावड़ा उद्यान आभा तूफान एक्सप्रेस, जो सबसे पुरानी रेल चल रही थी, उसको विभाग ने बंद करने का प्रस्ताव किया है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र से चलने वाली ये रेल सेवाएँ बहुत पुरानी हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करूँगा कि इन पर केन्द्र सरकार कृपा करके ध्यान दे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री रामचरण बोहरा को श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चन्द्र सेन जादौन – उपस्थित नहीं।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदय, केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड की जीवनदायिनी और महत्वाकांक्षी योजना है। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड कम वर्षा के कारण अकसर सूखे की समस्या से ग्रसित होता रहता है। मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी सहित सागर, दमोह, पन्ना, दतिया और आस-पास के जो जिले हैं, उनके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड जिला है, उन जिलों में सूखे के कारण जहां एक ओर किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है, वहीं उनको पेयजल की गम्भीर समस्या का सामना भी करना पड़ता है।

सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय ऐसे राज्यों में जहां पर नदियों में अकसर बाढ़ आती है, ऐसी बाढ़ वाली नदियों का पानी और जिन राज्यों में कम पानी गिरता है, उनको आपस में जोड़ कर वहां पर पानी पहुंचाए जाने के लिए, इन नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना बनाई गई थी। बीच में 10 वर्ष जो यूपीए की सरकार आई, उन 10 वर्षों के कार्यकाल में नदियों को आपस में जोड़ने के काम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके कारण काफी कठिनाइयों का सामना बुंदेलखंड के किसानों और निवासियों को करना पड़ रहा है।

आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद पिछले 6 वर्षों में केन-बेतवा नदी को जोड़े जाने का काफी काम हुआ है। इसके कारण बुंदेलखंड में विशेष रूप से टीकमगढ़ और छतरपुर क्षेत्र के लोगों में एक आशा और विश्वास का संचार हुआ है। सरकार की नीति नदियों को आपस में जोड़ने की है। किसानों के हितों और पेयजल की गम्भीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए केन-बेतवा नदी को जोड़ने का कार्य शीघ्र पूरा करके इस योजना को प्रारम्भ किया जाए। इससे लगभग 445 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जिसमें टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी जिले के 60 लाख परिवारों को पेयजल भी मिलेगा। साथ ही बुंदेलखंड के सभी जिलों में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार और पेयजल की गम्भीर समस्या का निराकरण भी होगा।

अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना का काम शीघ्र पूरा करके बुंदेलखंड के निवासियों को इसका लाभ दिलाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा (जूनागढ़): अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के माध्यम से उन मछुआरों की दयनीय स्थिति को बताना चाहता हूँ, जो पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से पाकिस्तान की जेल में बंद है। गुजरात के लगभग 271 मछुआरे, जिनमें ज्यादातर गिर-सोमनाथ के हैं। पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से पाकिस्तान ने बंदी बना कर रखा है।

अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के निरंतर प्रयास के उपरांत पाकिस्तान सरकार ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान 201 मछुआरों को जेल से रिहा किया है। लेकिन इन मछुआरों को पाकिस्तान से रिहा नहीं किया गया है। उपर्युक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जेल से इन 271 मछुआरों की शीघ्र रिहाई के लिए कृपा करके कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं आपकी जानकारी और अवलोकन के लिए गिरफ्तार मुछआरों की सूची संलग्न करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री देवजी पटेल और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आप टेबल कर दें। सूची रिकार्ड में आ जाएगी।

श्री नायब सिंह सैनी।

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में अपने लोक सभा क्षेत्र की एक अति महत्वपूर्ण समस्या को उठाने का मौका दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पटियाला से हरिद्वार तक सड़क, जो कि मेरे लोक सभा क्षेत्र चीका, पेहवा, कुरुक्षेत्र, लाडवा, रादौर व यमुनानगर से होते हुए लगभग तीन राज्यों को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब को जोड़ता है, की ओर दिलाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष जी, यह रोड सिंगल है। इस पर ट्रैफिक का भारी दबाव है। उसके साथ ही इस रोड पर लगभग 7 अनाज मंडी, 3 सब्जी मंडी व चीका में एक बड़ी मार्बल मार्किट तथा यमुनानगर में बड़ी लकड़ मंडी और 2 चीनी मिल पड़ती है, जिस कारण से किसानों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस रोड की कुल लम्बाई 230 किलोमीटर है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सड़क व परिवहन मंत्री जी को यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस सड़क को फोर लेन किया जाए। (1825/CS/PS)

इस रोड के ऊपर भारी ट्रैफिक रहता है और उससे किसानों को दिक्कत आती है। इस रोड के फोर लेन होने से इसके ऊपर होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। ऐसा होने से किसानों और आम जनता को इसका लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद।

श्री विजय कुमार (गया): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र गया में दक्षिण बिहार नाम से केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। हम सदन के माध्यम से माननीय केन्द्रीय मंत्री जी से माँग करते हैं कि इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नामकरण बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से किया जाए।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): महोदय, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार राज कर रही है, उसने मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू के अंदर बीते हुए 22 महीनों में 100 मीटर भी रोड बनाने का काम नहीं किया है। क्षेत्र के अंदर जो बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं, चाहे तारानगर से चुरू की सड़क हो, चाहे तारानगर से साहवा-नोहर की हो, चाहे वह भादरा से लेकर साहवा की हो, चाहे राजगढ़ से लेकर शिवमुख की हो, झुंझुनू की हो, उन सभी सड़कों की इतनी बुरी स्थिति है, जिसके बारे जितनी चर्चा की जाए, वह कम है। वहाँ पर रोज दुर्घटनाएं होती हैं और उन सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। राजस्थान की सरकार बिल्कुल सोई हुई है। बीते हुए दो साल पहले हमने भारत सरकार से सिरसा-

नोहर-साहवा-तारानगर और चुरू का एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवाया था, जिसकी डीपीआर का काम भी पूरा हो चुका है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर राजस्थान सरकार रोड बनाने में सक्षम नहीं है तो जो सैंशन रिपोर्ट है, जो डीपीआर आ चुकी है, इस रोड को स्वीकृत किया जाए और जो तारानगर-चुरू की महत्वपूर्ण रोड है, उस रोड को नेशनल हाइवे घोषित करके उसका काम चालू किया जाए। मैं आपसे ऐसी विनती करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): महोदय, इस वर्ष ओलावृष्टि और बाढ़ के कारण बिहार का अधिकांश हिस्सा बुरी तरह प्रभावित रहा है। करीब 50 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ की चपेट में आई है। वहाँ के किसानों की खरीफ की फसल बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अधिकांश सड़कें टूट गई हैं और मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली के अंतर्गत मीनापुर, पारू, कांटी, बरुराज, साहिबगंज, वैशाली विधान सभाएं बाढ़ से कुछ ज्यादा ही प्रभावित रही हैं। इन क्षेत्रों के कई बाँध टूट गए और यहाँ किसानों की 80 प्रतिशत से ज्यादा फसल प्रभावित हुई है। हमारे किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से यथासंभव बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही है, परन्तु केन्द्र सरकार के सहयोग के बिना लोगों की मुश्किल कम नहीं होगी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से माँग करती हूँ कि वह बाढ़ पीड़ितों की मदद करे और टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कराए। धन्यवाद।

कुमारी प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की दृष्टि अपने राज्य की तरफ दिलाना चाहती हूँ। मेरे राज्य में एक ही बड़ा रेफरल अस्पताल है। अभी जो कोरोना चल रहा है, इसके संदर्भ में और पहले से भी त्रिपुरा में एक एम्स जैसा अस्पताल बनाने की हम लोगों की माँग रही है। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक ही अस्पताल टीएमसी है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। उसमें पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके पास जमीन भी है।

मैं आपके माध्यम से त्रिपुरा की ओर से हेल्थ मंत्रालय को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह वहाँ पर एम्स जैसा एक अस्पताल स्थापित करे। हम लोगों ने जो माँगा था, मोदी जी ने पिछले 6 सालों में हमें उससे ज्यादा दिया है। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमें राजधानी मिलेगी। उन्होंने अभी पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश की तरफ से हम लोगों को, नॉर्थ ईस्ट को वॉटरवेज का रूट भी खोलकर दिया है। रेलवेज का रूट बांग्लादेश के अंदर से हुआ है और रोड कंस्ट्रक्शन भी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। हमने जो माँगा है, उससे ज्यादा पिछले 6 सालों में मोदी जी ने हमें दिया है।

(1830/RV/SNB)

सर, मैं आपके माध्यम से सरकार की दृष्टि हेल्थ सेक्टर की ओर ले जाना चाहती हूं कि हम लोगों को एम्स जैसा हॉस्पिटल मिले। टी.एम.सी. हॉस्पिटल का अधिग्रहण करके इसे किया जाए। इसके लिए पूरी जमीन भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत है, इसलिए उसे केन्द्र सरकार अधिग्रहण करे और हमें तथा नॉर्थ-ईस्ट को एक और एम्स हॉस्पिटल दे।

SHRI C. LALROSANGA (MIZORAM): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak during the `Zero Hour'.

Sir, I wish to bring to the notice of the Government the urgent need for carrying out its instructions issued nearly two years back to shift the unit of Assam Rifles from the heart of Aizawl, the capital of Mizoram to their designated location at Zokhawsang on the outskirts of the city.

The Ministry of Home Affairs, in their Office Memorandum to the Assam Rifles dated 19th February 2019, had directed the oldest Para-Military Forces in the country to shift their units from the capital city of Aizawl to Zokhawsang by 31st May, 2019. Regretfully, this direction of the Ministry has so far not been carried out.

The Assam Rifles have been handed over as many as 289 buildings out of 327 buildings constructed for them for shifting their units to Zokhawsang and an approach road has already been made for them. There have been undesirable incidents in the past between the Para-Military Forces and the civilians in the capital city. The tragic incident of firing on civilians of Aizol in 1988 following an altercation between the Para-Military Forces and civilians are still fresh in memory. Ten persons lost their lives in that unfortunate incident. These types of unfortunate incidents should be avoided at all costs. There have been recent instances of misunderstanding and altercation as well. These types of incidents have to be avoided at all costs.

Sir, I would like to request the Central Government to positively ensure that the units of Assam Rifles are expeditiously shifted out of Aizawl city to avoid any possible friction and misunderstanding in the future.

Thank you.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बिहार में एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 है, जो पटना से शुरू होकर दो-दो जिला मुख्यालयों - अरवल और औरंगाबाद - होते हुए झारखण्ड की ओर जाती है। इस राजमार्ग की लम्बाई बिहार में 156 किलोमीटर है और यह तीन-तीन राज्यों का सम्पर्क पथ है। यह राजमार्ग बिहार से झारखण्ड जाती है और छत्तीसगढ़ जाने का भी रास्ता इसी से है। वैसे, इस रास्ते से लोग उत्तर प्रदेश की ओर भी जाते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि अभी यह सड़क केवल 2-लेन है जबकि इस सड़क पर यातायात का भारी दबाव है। मालवाहक गाड़ियों और पैसेंजर गाड़ियों का भी उस पर दबाव है।

महोदय, मैंने कई बार अपनी इस मांग को सदन के माध्यम से भी सरकार के सामने रखा है, लेकिन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का यह कहना है कि इस सड़क पर परिचालित गाड़ियों

की संख्या कम है, इसलिए इसे 4-लेन नहीं किया जा सकता। मैंने उन्हें इसकी चुनौती देते हुए कहा कि यह सर्वे गलत है और यह सर्वे वर्ष 2011 का है, जब यह सड़क अत्यंत ही खराब स्थिति में थी। यह ठीक है कि उस समय इस सड़क पर कम गाड़ियां चलती थीं, लेकिन जब से यह 2-लेन सड़क अच्छी बनी है, उसके बाद से इस पर गाड़ियों का परिचालन बहुत अधिक बढ़ गया है और इस पर बहुत अधिक दबाव है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी की सोच के तहत जो देश के अन्दर 115 आकांक्षी जिले बनाए गए हैं, उनमें हमारा औरंगाबाद जिला भी आता है। उसका विकास करके उसे देश के औसत विकास के ऊपर लाना है।

महोदय, आपके माध्यम से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से मेरी मांग है कि इस सड़क को 4-लेन किया जाए। यह उग्रवादग्रस्त और बहुत ही पिछड़ा इलाका है। इसको 4-लेन करना वहां के आम आदमी, किसान, व्यापारी, सभी के लिए हितकर होगा

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (अकबरपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी जहां किसानों को स्वावलम्बी बनाने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, वहीं विगत यू.पी.ए. सरकार की गलतियों के कारण मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं।

(1835/MY/RU)

महोदय, मैं कानपुर नगर और कानपुर देहात में विद्युत के संबंध में आपसे कहना चाहता हूँ कि जो किसान अपना प्राइवेट ट्यूबवेल लगाता है, उन ट्यूबवेलों को तीन-तीन साल तक सामान नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण यह पता नहीं लगता है कि उसका लक्ष्य पूरा हो गया है। इस संबंध में जब मैंने विभागीय अधिकारियों और उनके प्रबंध निदेशक से बात की तो उन्होंने कहा कि चूंकि एक साल में 35 हजार का लक्ष्य है और 45 हजार हमारी पेंडेंसी बाकी है। इस तरीके से तमाम किसानों की सिंचाई का नुकसान हो रहा है। इसलिए, आपसे निवेदन है कि आप इस विषय में हस्तक्षेप कर किसानों की समस्या को दूर करने का कष्ट करें।

दूसरा, सौभाग्य योजना के तहत डीडीजेएवाई के बारे में सौभाग्य-1 और सौभाग्य-2 का जो लक्ष्य रखा था, आज भी सौभाग्य योजना के तहत कई लक्ष्य अधूरे हैं। इसके संबंध में हमने विगत महीने कानपुर नगर और कानपुर देहात के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके उनसे कहा कि अगर कोई छूट गया है तो उनको भी सौभाग्य-3 में शामिल किया जाए और किसी भी गाँव एवं बसावट को नहीं छोड़ा जाए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इन समस्याओं पर ध्यान देते हुए कार्य को पूर्ण कराने की कृपा की जाए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सुजय विखे पाटील को श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सुश्री दिया कुमारी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना चाहूँगा। जयपुर की लाइफ लाइन कही जाने वाली और जयपुर सहित आसपास के क्षेत्र में पीने के पानी के एकमात्र स्रोत के रूप में पहचान रखने वाला रामगढ़ बाँध आज पूरी तरह से सूख चुकी है। यह बहुत ही दुख की बात है। एक समय में यहाँ पर 64 फीट पानी था। वर्ष 1982 में जब हमारे यहाँ एशियन गेम्स हुए थे तो रोइंग के इवेन्ट्स भी यही हुए थे। आज यह हालत है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण, यहाँ जो कैचमेन्ट एरिया है, उसमें पूर्ण रूप से एन्क्रोचमेन्ट्स हो चुके हैं। कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया है और वहाँ फार्म हाउसेस बना लिए हैं। उसकी हालत यह है कि यहाँ पर आज एक बूँद भी पानी नहीं है। इस बाँध के सूख जाने के कारण लाखों की आबादी वाला जयपुर शहर आज पानी के लिए तरस रहा है।

महोदय, इसे दोबारा जीवित करने के लिए कई एनजीओज़, जनप्रतिनिधि और मीडिया लगातार प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सेल्फ कॉग्निजेन्स लेते हुए कई बार प्रशासन से इस पर कार्रवाई करने करने को कहा और नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

महोदय, आज मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी तक यह बात पहुँचाना चाहूँगी कि जयपुर की इस लाइफ लाइन और हेरिटेज को बचाया जाए। यह जो बाँध है, इसकी नींव वर्ष 1897 में रखी गई थी। यह बाँध 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह बाँध हमारे राजस्थान का हेरिटेज भी है।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि इस बाँध को बचाया जा सके। राज्य में जो सरकार है, वह भी इसके बारे में कार्रवाई नहीं कर रही है। मुझे आगे भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि वह कोई कार्रवाई करेगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. सुजय विखे पाटील, श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, श्री रामचरण बोहरा और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को सुश्री दिया कुमारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों की सक्रियता को देख रहा हूँ। आज भी लोक महत्व के विषय को उठाने के लिए एक लंबी सूची मेरे पास है। आप सब अपने-अपने क्षेत्र की जनता की भावनाओं, समस्याओं और उनकी कठिनाइयों को सदन के माध्यम से राज्यों और केन्द्र की सरकारों को अवगत कराते रहते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, क्योंकि समय कम है, अगर आप अपनी बात एक मिनट में कह देंगे तो मैं सूची पूर्ण कर लूँगा। क्या सदन इसके लिए तैयार है?

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस सदन के माध्यम से जल संरक्षण की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य हो रहा है। कृषि के क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए यह बहुत ही जरूरी काम है। उनके लिए हमने प्रयास किया कि सुरक्षा के अपेक्षित परिणाम आएं।

(1840/CP/NKL)

महोदय, मेरे बलिया क्षेत्र में विधासभा के दो विधायक जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, श्री उपेन्द्र तिवारी और श्री आनंद स्वरूप शुक्ला, उन्होंने जल संरक्षण का जो काम किया है, वह बेमिसाल काम है। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मनरेगा को कृषि की जुताई, गुड़ाई और कटाई से जोड़ देने से भी खेती की लागत कम हो जाएगी, किसानों की समृद्धि बढ़ जाएगी। यह काम मनरेगा से अगर हुआ, तो खेती में लेवलिंग का काम, मेड़ पर पेड़ लगाने का काम, जल संरक्षण का काम इससे हो सकेगा।

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी झील सुरहा ताल है। उस ताल के पानी को, जल मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम इनको आज ही आमंत्रित कर देता हूं कि ये वहां चलेंगे तो जल संरक्षण का काम बहुत विस्तार से हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष : श्री उदय प्रताप सिंह, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री देवजी पटेल और श्री रवि किशन को श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से केंद्रीय आयुष मंत्री जी का ध्यान हिमाचल प्रदेश में होम्योपैथी को बढ़ावा देने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज विश्व में एलोपैथी के बाद होम्योपैथी सबसे ज्यादा प्रचलित है, चाहे हम अमरीका की बात करें, जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें या फिर हमारा देश भारत भी इसमें अग्रणी देश है। वर्ष 2005 में इस देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया और वैकल्पिक स्वास्थ्य पद्धति को बढ़ावा देने की ओर बल दिया गया।

मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग ढाई हजार के करीब एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, डेढ़ हजार के करीब आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन केवल मात्र 14 होम्योपैथिक सेंटर्स हैं। पिछले 25 वर्षों में एक भी होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला है। यहां एक होम्योपैथिक कॉलेज है जिससे लगभग प्रतिवर्ष 700 डॉक्टर्स निकलकर पास आउट होते हैं, लेकिन पिछले 25 वर्षों में एक भी होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला गया। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में होम्योपैथी को बढ़ावा देने की ओर उचित कदम उठाए जाएं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सुजय विखे पाटील और श्री रवि किशन को श्री सुरेश कश्यप द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

एक मिनट बाद अपने आप माइक बंद हो जाएगा।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

The Government of India, under the Pradhan Mantri Awas Yojana had generously sanctioned 12,32,237 houses to Andhra Pradesh. This was in 2015. The Government of Andhra Pradesh had completed the construction of 84,000 houses, while another 75,000 houses were close to completion. Beneficiary

selection had been completed and the beneficiaries have been waiting to take their houses since the end of Elections in 2019.

After the Elections, the YSR-led Government started following their *modus operandi* of vendetta politics, and the houses constructed during the TDP regime have been kept idle. After nearly 16 months, handing over of the houses to beneficiaries is eagerly awaited. …(*Interruptions*) The COVID-19 pandemic has put further strain on them financially. …(*Interruptions*)

Therefore, I request the hon. Minister for Housing and Urban Development to take immediate steps to ensure that the beneficiaries are handed over the houses under the PMAY at the earliest. …(*Interruptions*) Such a step by the Government of India would go a long way in ensuring comfortable and dignified living of the poor. …(*Interruptions*)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय जो मेरे क्षेत्र से संबंधित है, उस पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र के अंतर्गत दानापुर विधान सभा क्षेत्र में दानापुर छावनी परिषद के अधीन 100 वर्षों से अधिक चालू सर्वे बैरक नंबर 1 लोधीपुर, चांदमारी रोड को अकारण, जबरन दानापुर कन्टोनमेंट के सैन्य अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया। इससे दर्जनों गांव प्रभावित हो गए हैं। पूर्व में माननीय पूर्व रक्षा मंत्री के आदेशानुसार आदेश संख्या दिनांक 14.9.2018 के अनुसार पांच रास्तों को खोलने का आदेश हुआ था। यह पूरे देश के पैमाने पर हुआ था और हमारे क्षेत्र में हुआ था। वह आदेश अभी तक है। इसके बावजूद दानापुर के कन्टोनमेंट में आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, रक्षा मंत्री जी से मैं दो बार मिल चुका हूं, सीडीएस से भी मैंने अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खुला है। वहां एक शिक्षण संस्थान भी है, एक बड़ी आबादी है और हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहां लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों को 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से पुन: निवेदन करूंगा कि वे हस्तक्षेप करें और दानापुर कन्टोनमेंट का रास्ता जो चांदमारी से है, उसको और जो चार अन्य रोड हैं, उन्हें खुलवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सुजय विखे पाटील और श्री रवि किशन को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1845/NK/KSP)

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise a very important matter relating to my constituency and this is regarding the upgradation of State Highways to National Highways.

Sir, first of all, I am very grateful to the hon. Prime Minister and the hon. Minister of Road Transport and Highways for sanctioning the upgradation of Bellary-Hospet-Koppal-Gadag-Hubli National Highway 63 into four-lane which is near completion. The department concerned has already submitted the DPR to the Central Government. In the interest of the welfare of the State and also to meet the demands of the public and farmers, it is very much necessary to upgrade the following State Highways into National Highways and they are, Koppal-Shiggaon for about 120 kms., Raichur-Ginigera for about 140 kms., and Sindnoor-Naragund *via* Kustagi Gagendragada which is a length of about 157 kms.

The farmers of Koppal District of Karnataka grow plenty of pomegranates, banana, grapes and mangoes; and especially pomegranates are getting exported to various countries. In order to explore newer markets for the fruits, strengthening of road transport is very much necessary.

So, I humbly request the hon. Minister of Road Transport and Highways to kindly consider the request for the upgradation of these State Highways to National Highways.

श्रीमती रेखा अरुण वर्मा (धौरहरा): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहती हूं। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत भारत सरकार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. पीएमकिसान.गवर्नमेंट.इन पर तहसील मितौली जनपद लखीमपुरखीरी प्रदर्शित नहीं हो पा रही है। इसके कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र के तहसील मितौली के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि भारत सरकार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. पीएमकिसान.गवर्नमेंट.इन तहसील मितौली जनपद लखीमपुरखीरी को प्रदर्शित करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री रविंद्र श्यामनारायण उर्फ रवि किशन को श्रीमती रेखा अरुण वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम का आज जन्मदिन भी है।

श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम (जामनगर): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कोविड की स्थिति में जिस तरह से सत्र कन्डक्ट किया है। उसके लिए मैं आपको अभिनंदन और आभार प्रकट करती हूं। हम सभी सदस्य सोच रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में सदन कंडक्ट कैसे होगा, हम सब अपनी खुद की सुरक्षा के लिए भी थोड़े से भयभीत थे। इस स्थिति में भी आपने बहुत अच्छे से हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखकर सदन कन्डक्ट किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज मेरे जन्मदिन पर आपने चेयर से विश किया, उसके लिए भी आपकी आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री देवजी पटेल (जालौर): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा। मेरे लोक सभा क्षेत्र सहित पूरे राजस्थान और पूरे देश में आदर्श सोसायटी द्वारा लोगों से पैसे ले लिए और उसे वापस नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष जी, वहां मैनेजमेंट कमेटी जेल में है। सरकार ने लिक्विडेटर नियुक्त किया है लेकिन ईडी और डीआरआई अन्य विभागों द्वारा आदर्श की सारी प्रोपर्टी सीज कर दी गई है। जब लिक्विडेटर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या दूंगा?

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री देवजी पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जैसे यस बैंक को उबारा, उसी तर्ज पर आदर्श सोसायटी में भी प्रशासक नियुक्त करके उसकी अटैच प्रोपर्टी को फ्री करके जो पैसा है उस पैसे को वापस गरीबों को लौटाया जाए, तभी गरीब सुख-शांति से जी पाएगा। यही मेरा आपसे अनुरोध है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Hon. Speaker, Sir, I thank you very much for giving me an opportunity for raising a matter of urgent public importance pertaining to my constituency.

Sir, I would like to raise the matter regarding Donakonda Aerodrome in my Ongole Parliamentary Constituency in Andhra Pradesh. This was built during the British period and later on it had been abandoned. Now, a lot of industries are going to come up in this area. Our hon. Chief Minister Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu is interested in developing an industrial corridor in that place.

(1850/KKD/SK)

Now, the Indian Navy is also setting up a big unit called VLF station there and 2,500 acres of land has been allotted with an investment of Rs. 800 crore. An Army lab is also coming up in that area.

So, I would request the hon. Minister to kindly revive the Donakonda Aerodrome so that people can travel freely. An express highway from Amaravati to Anantapur is also operating in that station. Thank you.

श्री अकबर लोन (बारामूला): माननीय स्पीकर सर, जैसा कि आपको और सदन में सब लोगों को इस चीज का इल्म है कि जम्मू-कश्मीर में जो फ्रूट पैदा होता है, उसे मुल्क की दूसरी मंडियों तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की असल जरूरत होती है। वक्त पर गाड़ियां लोगों को नहीं मिलती हैं, इस वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ होती है और अक्सर मेवा सड़ जाती है क्योंकि रास्ते में मेवा रोकी जाती है।

मेरी आपके वसादत से मंत्री महोदय से गुज़ारिश है कि मुतालक्का गवर्नमेंट को मुत्तला करे कि इन गाड़ियों को रास्ते में रोके बगैर आगे जाने की इज़ाजत दें ताकि इनमें जो भी मेवा वगैरह लानी हो या लेनी हो, उनको तकलीफ न हो।

جناب محمد اکبر لون (بارہ مولہ): جناب اسپیکر صاحب، جیسا کہ آپ کو اور اس ایوان مین سب لوگوں کو اس چیز کا علم ہے کہ جموں و کشمیر جو جو فروٹ پیدا ہوتا ہے، اسے ملک کی دوسری منڈیوں تک پہنچانے کے لئےگاڑیوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ وقت پر گاڑیاں لوگوں کو نہیں مل پاتی ہیں، اس وجہ سے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور اکثر میوہ سڑ جاتی ہے کیونکہ راستے میں میوہ روکی جاتی ہے۔

میری آپکی وسادت سے منتری جی سے گزارش ہے کہ متعلقہ گورنمنٹ کو اطلاع کریں کہ ان گاڑیوں کو راستے میں روکے بغیرآگے جانے کی اجازت دیں تاکہ ان میں جو بھی میوہ وغیرہ لانی ہو لینی ہو ان کو تکلیف نہ ہوے۔ شکریہ

श्री रमाकान्त भार्गव (विदिशा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया।

मेरे संसदीय क्षेत्र विदिशा, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर फोर लेन सड़क की स्वीकृति के बाद सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य एनएचआई के माध्यम से किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में बरखेड़ा से बूंदी तक 12.50 किलोमीटर लंबी सड़क रातापानी वन्य प्राणी अभ्यारण के क्षेत्र में आती है। इस क्षेत्र में फोर लेन सड़क निर्माण कार्य की अनुमति प्राप्त नहीं होने से सड़क निर्माण का कार्य नहीं हो पा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री महोदय से अनुरोध है कि रातापानी वन्य प्राणी अभ्यारण क्षेत्र में फोर लेन सड़क निर्माण कार्य को एनओसी प्रदान करने का कष्ट करें ताकि भोपाल-नागपुर फोर लेन सड़क मार्ग पर आने-जाने वाले हजारों यात्रियों को सुविधा मिल सके। धन्यवाद।

श्री सय्यद इम्तियाज जलील (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में कहा गया है - water is right to life. लेकिन हमें इस राइट से महरूम रखा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस कांस्टीटुएंसी से आता हूं, वहां आज भी सात या नौ दिन के बाद पानी मिलता है। इस बार इतनी अच्छी बारिश हुई और शहर को जायकवाड़ी डैम से पानी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, लेकिन इसका पानी 55 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में ला नहीं सकते हैं, पिछली सरकारों की नाकामियां रही होंगी, लेकिन आज गेट्स खोलकर पानी को बहाया जा रहा है। अब सरकार ने 1680 करोड़ रुपये की स्कीम की घोषणा की है।

यहां जल शक्ति मंत्री बैठे हुए थे, मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि आप मेरा नाम पुकारें, लेकिन इससे पहले वह उठकर चले गए। सरकार ने वादा किया है – "हर घर जल"। मेरा अनुरोध है कि इस स्कीम के तहत औरंगाबाद को केस स्टडी पर लिया जाए और सरकार अपनी सक्सैस स्टोरी बोलकर प्रोजेक्ट करे कि इस शहर में, जहां सात दिन बाद पानी मिलता था, डेढ़-दो साल में हर रोज पानी प्रोवाइड कराने का इंतजाम किया गया है।

मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि 70 सालों बाद भी अगर सात या नौ दिन बाद पानी मिल रहा है तो हम सबके लिए बड़े शर्म और अफसोस की बात होनी चाहिए। हमें इतने सालों बाद भी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हम बड़ी बातें करते हैं, बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूं कि जब पांच दिन बाद पानी आता है तो महिलाओं को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं।

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के मुख्यालय देवरिया शहर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 727 गुजरती है। यह सड़क उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ती है। इस सड़क की हालत भारी वाहनों के आने-जाने से बहुत जर्जर हो गई है। यहां भारी वाहनों के गुजरने से लंबा जाम भी लग जाता है और आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। इससे व्यापार में भी काफी क्षति होती है और व्यापार काफी प्रभावित होता है।

(1855/MK/RCP)

इस परेशानी को देखते हुए दिनांक 25.01.2018 को सड़क परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी एवं तत्कालीन सांसद और उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जी की मौजूदगी में सोनू घाट से बैतालपुर, देवरिया बाईपास रोड रिंग रोड का शिलान्यास किया गया था। परन्तु, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तक उस पर कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण वहां की स्थानीय जनता में क्षोभ है। लोग इसको मुद्दा बनाकर हम सबसे शिकायत करते हैं। इस संबंध में हमने कई बार संबंधित अधिकारियों से बात की, परन्तु, हमें वहां से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अत: मैं सदन में आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए, जो भी प्रशासनिक और वित्तीय परेशानी आ रही है, उसे अविलम्ब दूर करके, जनहित में सोनू घाट से बैतालपुर, देवरिया बाईपास रिंग रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. सुजय विखे पाटील को श्री रमापति राम त्रिपाठी सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भगवंत खुबा (बीदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। खासकर मैं यशस्वी प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री जी को किसान भाईयों की ओर से धन्यवाद देता हूं। कर्नाटक के अंदर बीदर, गुलबर्गा और यादगिर जिला जो स्वतंत्रता से पूर्व निजाम सरकार में थे, उसके बाद वहां के गोंड समाज के लोग केंद्र सरकार की एस.टी कैटेगरी में आते हैं। उसी गोंड समाज का सिनोनिमस शब्द कुरुबा है। इन तीनों जिलों के कुरुबा समाज को केंद्र सरकार की एस.टी कैटेगरी लिस्ट में शामिल किया जाए। यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भगवंत खुबा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, हम आपके विशेष रूप से आभारी हैं कि आपने हमें शून्य काल में बोलने का अवसर दिया। विशेष रूप से, इसलिए भी आभारी हैं कि यदि मैं सदन में

बिना एक शब्द बोले वापस लौट जाता तो जनता का कोपभाजन बनता। जनता ने हमें झोली भरकर वोट दिया है। करीब पांच लाख से हमें जिताया।

अध्यक्ष महोदय, आप हैं तो यह मुमकिन हो रहा है, क्योंकि, इसके पूर्व भी हमने दो-दो अध्यक्ष को देखा, कभी अवसर नहीं मिलता था, जिस तरह से आपने सभी को अवसर देने का काम किया है।

मेरे क्षेत्र में सेल का बोकारो स्टील प्लांट और कोलरिया हैं। लेकिन, समस्या सेल के पूरे कर्मचारियों की है। उनका पे रिवीजन पिछले कई वर्षों से लंबित है। वे बेचारे निराशा की स्थिति में हैं। पिछले दो सालों से सेल लगातार प्रोफिट में है, फिर भी उनका पे रिवीजन नहीं हो पा रहा है। अत: मैं स्टील मिनिस्ट्री और पूरी सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी बाधा है, उसको दूर करके सेल के कर्मचारियों का पे रिवीजन किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. सुजय विखे पाटील को श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय कुमार मंडल - उपस्थित नहीं

श्री मोहन एस. देलकर जी।

श्री मोहन एस. देलकर (दादरा और नागर हवेली): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत सुचारु रूप से सदन को चलाया। यह आपकी खूबी है, इसलिए, सभी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप सबको मौक दे रहे हैं।

आज पूरे देश में लोग कोरोना संकट के कारण विकट परिस्थिति में हैं। मेरा प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव भी है।

(1900/YSH/SMN)

ऐसी स्थिति में वहाँ का प्रशासन निर्णय लेकर, वहां पर जो कॉलोनी बनी है, उसे खाली करवाने के लिए नोटिस जारी कर रहा है। आज आर्थिक स्थिति भी बहुत गंभीर है। लोग बहुत परेशान हैं और ऐसी स्थिति में ऐसे नोटिस निकालना ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और खासकर गृह मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी जी यहां पर बैठे हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इसमें तुरन्त दखल दें। लोग बहुत परेशान हैं। इस तरह के नोटिस बंद किए जाएँ और एक पॉलिसी बनाई जाए, जिसके अन्तर्गत सभी कॉलोनीज़ को रेगुलर करने का काम किया जाए। जैसे भारत सरकार ने किया है, वैसे ही वहाँ के लिए भी निर्णय लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष : रमेश जी, इस सदन में जो कभी नहीं बोले हैं, उनका पहले नम्बर आएगा। आपका नम्बर बाद में आएगा।

श्री ए. नारायण स्वामी जी।